>

Title: The Minister of Rural Development laid the statement regarding status of National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (NREGA) and the status of implementation of the components of Bharat Nirman relating to the Ministry of Rural Development.

* * **ग्रामीण विकास मंत्री (डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह):** महोदय,मैं राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम, 2005 (एनआरईजीए) की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सदन के पटल पर रखता हूँ:

1. मुझे इस सदन को यह जानकारी देते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2007-08 में 330 जिलों में लगभग 3.37 करोड़ ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है । 141.62 करोड़ श्रम दिवस सृजित किए गए हैं । प्रत्येक परिवार को वर्ष के दौरान अब तक औसतन 42 दिनों का रोजगार मिला है । जल संरक्षण को उच्च प्राथमिकता दी गई है तथा उसी के अनुसार जल संरक्षण से संबंधित 49औ कार्य शुरू किए गए हैं ।

2. कुल 141.62 करोड़ श्रम दिवसों में से अनुसूचित जातियों का हिस्सा 38.70 करोड़ श्रम दिवस (27.3औ) तथा अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 41.36 करोड़ श्रम दिवस (29.2औ) है जो कुल मिलाकर 80.06 करोड़ श्रम दिवस है और यह लगभग 56.53औ है । महिला लाभार्थियों का हिस्सा 60.39 करोड़ श्रम दिवस है जो 42.60औ है ।

3. 2007-08 के दौरान केन्द्र सरकार ने 12000 करोड़ रु. का बजट प्रावधान किया था जिसमें से 12610.39 करोड़ रु. रिलीज किए गए थे । अथशेष सहित मार्च, 2008 तक राज्यों के पास कुल 19028.58 करोड़ रु. थे । मार्च, 2008 तक कुल 15678.86 करोड़ रु. खर्च होने की सूचना दी गई है ।

4. कुल 17.76 लाख कार्य शुरू किए गए जिसमें से 8.05 लाख कार्य पूरे हो चुके हैं ।

4.1 जल संरक्षण तथा जल एकत्रीकरण के 470748 कार्य शुरू किए गए जिसमें से नए तालाबों/जोहड़ों को खोदने, सोख्ता टैंकों तथा छोटे चेक डैमों के माध्यम से 1301.62 लाख क्यूबिक मीटर जल भंडारण क्षमता पैदा की गई ।

4.2 बाढ़ नियंत्रण एवं संरक्षण के अंतर्गत 49324 कार्य शुरू किए गए जिससे जल जमाव वाले क्षेत्रों में बाधों के निर्माण और मरम्मत के जरिए 7.50 लाख कि.मी. लंबाई के नाले का निर्माण हुआ ।

4.3 0.46 लाख कि.मी. लंबाई के नहरों के निर्माण/नवीकरण के लिए कुल 89359 लघु सिंचाई कार्य शुरू किए गए ।

4.4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, भूमि सुधार और आईएवाई लाभार्थियों के स्वामित्व वाली जमीन में सिंचाई सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कुल 261299 कार्य शुरू किए गए जिससे 0.65 लाख हैक्टेयर जमीन में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई ।

4.5 पारंपरिक जल निकायों के नवीकरण के अंतर्गत 132479 कार्य शुरू किए गए जिससे टैंकों/तालाबों और पारंपरिक कुंओं से गाद निकालकर 1063.38 लाख घन मीटर जल भण्डारण क्षमता सृजित की गई ।

4.6 भूमि विकास के अंतर्गत 286793 कार्य शुरू किए गए जिससे 10.85 लाख हैक्टेयर जमीन का समतलीकरण किया गया और मेड़ बनाई गई ।

4.7 सूखा रोधन के अंतर्गत 125349 कार्य शुरू किए गए जिससे 6.14 लाख हैक्टेयर जमीन को वनीकरण और वृक्षारोपण के योग्य बनाया गया ।

4.8 ग्रामीण सड़क संपर्क के अंतर्गत 4.00 लाख कि.मी. लम्बी सड़क बनाने के लिए 303564 कार्य शुरू किए गए थे ।

4.9 अन्य विभिन्न क्रियाकलापों के अंतर्गत 57126 कार्य शुरू किए गए हैं ।

5. मेरा मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से जागरूक है कि पात्र इच्छुक परिवारों को उनका हक मिले तथा संसाधनों का समुचित उपयोग भी हो । तदनुसार हमने कड़ी सतर्कता, समुचित निगरानी, जनभागीदारी, जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं ।

5.1 श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान बैंक/डाकघर खातों के माध्यम से किया जाएगा । मैंने माननीय वित्त मंत्री से सभी बैंकों को यह सलाह देने का अनुरोध किया है कि वे प्राथमिकता आधार पर एनआरईजीए लाभार्थियों के बैंक खाते खोलने के लिए अपनी ओर से कदम उठाएं । मैंने सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों से भी यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि बैंक/डाकघर खाते शीघ्र खोले जाएं तथा भुगतान इन खातों के माध्यम से किया जाए । अब तक 14506012 खाते खोले गए हैं । राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सभी एनआरईजीए श्रमिकों के खाते 31 मार्च, 2008 तक खोल दिए जाएं ।

5.2 सामाजिक लेखा परीक्षा एनआरईजीए में पारदर्शिता लाने के लिए एक अनिवार्य प्रावधान है । अब तक अलग-अलग राज्यों में 77000 ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखा परीक्षा का कार्य पूरा कर लिया गया है । सभी राज्यों को सामाजिक लेखा परीक्षा तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने को कहा गया है ।

5.3 मस्टररोलों के सत्यापन का काम एक अभियान के रूप में शुरू किया गया है। मस्टररोलों का नियमित सत्यापन करने के लिए एक प्रणाली बनाई गई है । अब तक 46 लाख से अधिक मस्टररोलों का सत्यापन किया गया है ।

5.4 एक प्रणाली बनाई गई है जिसके तहत 2औ एनआरईजीए कार्यों का राज्य स्तरीय कर्मचारियों द्वारा 10औ कार्यों का जिला स्तरीय कर्मचारियों द्वारा और शत-प्रतिशत कार्यों का ब्लॉक स्तरीय कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है ताकि नियमों और प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके । वर्ष 2007-2008 के दौरान, 8.48 लाख कार्यों का निरीक्षण किया गया ।

5.5 27.9.2006, 30.3.2007, 20.9.2007 तथा 6.2.2008 को केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद की चार बैठकें और 16.8.2007 तथा 5.2.2008 को कार्यकारी समिति की दो बैठकें आयोजित की गई हैं । इसके अलावा, 5 राज्यों - झारखंड (मई, 07), तमिलनाडु (जुलाई, 07), उड़ीसा (नवंबर, 07), उत्तर प्रदेश (जनवरी, 08) और महाराष्ट्र (फरवरी, 08) में एनआरईजीए की राज्य विशिष्ट समीक्षा भी की गई है । केन्द्रीय परिषद के सदस्य भी इन समीक्षा बैठकों में हिस्सा लेते हैं ।

5.6 वेब आधारित एक व्यापक प्रबंधन आसवूना प्रणाली विकसित की गई है । हकदारी, निधि प्रवाह, कार्यों का ब्यौरा और मासिक प्रगति रिपोर्ट से संबंधित आंकड़े सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध हैं । मासिक प्रगति रिपोर्टों की प्रतियां सभी माननीय संसद सदस्यों को उनके ई-मेल खाते में नियमित रूप से भेजी जा रही हैं ।

5.7 गहन आईईसी अभियान और कार्य विशिष्ट सतर्कता एवं निगरानी समितियों के गठन के माध्यम से भी जागरूकता सृजन और जनभागीदारी के लिए एक व्यापक कार्य शुरू किया गया है जिसके अंतर्गत उन्हें बाद में प्रशिक्षण दिया जाता है । अब तक पंचायती राज संस्था के 9 लाख से अधिक कर्मचारियों, 1.77 लाख सरकारी कर्मचारियों और सतर्कता एवं निगरानी समिति के 2.46 लाख से अधिक सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया है ।

मेरे मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, आईआईटी तथा आईआईएम के निदेशकों तथा अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों से भी एनआरईजीए की निगरानी एवं मूल्यांकन प्रक्रिया में भाग लेने का अनुरोध किया है । मैं सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ कि इस संबंध में अच्छी प्रतिक्रिया मिली है ।

5.8 समाधानों और उत्कृष्ट कार्यों का परस्पर आदान-प्रदान करने के लिए ई-नॉलेज नेटवर्क शुरू किया गया है ।

5.9 समुदाय आधारित संगठनों को जागरूकता सृजन, निगरानी और सामाजिक लेखा परीक्षा के कार्यों में लगाया गया है । एनआरईजीए के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए सिविल सोसायटी संगठनों द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए "रोजगार जागरूकता पुरस्कार " नामक पुरस्कार योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है ।

6. नियमों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए अपनी ओर से किए जाने वाले पूर्व उपाय के रूप में मंत्रालय ने सीएजी से आरंभिक चरण में एनआरईजीए की निष्पादन लेखा परीक्षा करने का अनुरोध किया था जिसके आधार पर सीएजी ने 68 जिलों के 128 से अधिक ब्लॉकों और 513 ग्राम पंचायतों में निष्पादन लेखा परीक्षा की है । निष्पादन लेखा परीक्षा के परिणामों पर विधिवत कारवाई की जा रही है । आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए गए हैं और चरण-।।। में एनआरईजीए का विस्तार करते समय सुधारात्मक उपाय करने के उद्देश्य से कदम उठाए गए हैं ।

7. मुझे विश्वास है कि जिला सतर्कता और निगरानी समितियों के अध्यक्ष/सह अध्यक्ष के रूप में सभी माननीय संसद सदस्यों की सक्रिय भागीदारी से ग्रामीण विकास मंत्रालय पूरी सक्षमता और देश की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप एनआरईजीए का कार्यान्वयन कर पाएगा ।

-

-

ग्रामीण विकास मंत्री (डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह): महोदय, मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित भारत निर्माण के संघटकों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सदन के पटल पर रखता हूँ :

भारत निर्माण ग्रामीण अवसंरचना विकास के लिए यू.पी.ए. सरकार की एक समयबद्ध योजना है जिसे 1,74,000/- करोड़ रु. के कुल अनुमानित निवेश के साथ, चार वर्षों में अर्थात 2005-06 से 2008-09 तक कार्यान्वित किया जाना है । भारत निर्माण के 6 घटक हैं जिनमें से तीन घटक अर्थात ग्रामीण सड़क, ग्रामीण आवास एवं ग्रामीण जल आपूर्ति को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 85,000/- करोड़ रु0 के अनुमानित निवेश से कार्यान्वित किया जा रहा है । मैं इस सदन को भारत निर्माण के इन तीन घटकों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति के बारे में बताना चाहता हूँ ।

<u>ग्रामीण सड़कें</u>

2005-09 के दौरान 1,46,185 कि.मी. लम्बी ग्रामीण सड़कों के निर्माण तथा 1,94,130 कि.मी. मौजूदा सड़कों के उन्नयन का लक्ष्य रखा गया था । अब तक, 20,000 बसावटों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है और 16,000 बसावटों को सड़कों से जोड़ने की परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं । लगभग 23,000 बसावटों के लिए परियोजनाएं अनुमोदित की जानी हैं । अब तक, 55684 कि.मी. नई सड़कों का निर्माण किया गया है तथा 78418 कि.मी. मौजूदा ग्रामीण सड़कों का उन्नयन/नवीकरण किया गया है ।

अब तक, (फरवरी, 2008 तक) 29681.82 करोड़ रु. का उपयोग किया जा चुका है । मैं यह बताना चाहूँगा कि भारत निर्माण शुरू किए जाने के बाद 2000-2005 की अवधि के दौरान 1,937 करोड़ रु. के औसत वार्षिक खर्च की तुलना में, ग्रामीण सड़कों पर औसत वार्षिक खर्च बढ़कर 6800 करोड़ रु. से भी अधिक हो गया है । वर्ष 2007-08 के दौरान, 11,000 करोड़ रु. आबंटित किये गए हैं तथा 2008-09 के लिए बजटीय परिव्यय 14,530 करोड़ रु. है ।

एक वेब आधारित ऑनलाइन निगरानी प्रणाली (वेब पता www.omms.nic.in तथा www.pmgsyonline.nic.in) बनाई गयी है ताकि पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कार्यों की समय पर निगरानी की जा सके।

सभी मुख्य स्थानों पर स्थानीय भाषा में नागरिक सूचना बोर्ड लगाए जाने हैं जिसमें खड़ंजे की प्रत्येक परत के लिए उपयोग की गई सामग्री की लागत तथा मात्रा का उल्लेख किया जाता है ।

सभी राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि पीएमजीएसवाई के अंतर्गत चल रहे एवं पूरे कर लिए गए कार्यों की माननीय संसद सदस्यों/िवधायकों/िवधान परिषद सदस्यों/पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकर्ताओं तथा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा संयुक्त जाँच की जाए ।

निर्माण में उत्कृष्ट गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार कटिबद्ध है । ऐसी प्रणालियां बनाई गई हैं ताकि गुणवत्ता में कोई कमी न आए ।

त्रि-स्तरीय गुणवत्ता निगरानी पूर्ण रूप से कार्यशील है । राष्ट्र स्तरीय गुणवत्ता निगरानीकर्त्ताओं ने अब तक 45,000 सड़क कार्यों की जांच की है ।

ग्रामीण आवास

भारत निर्माण के अंतर्गत, चार वर्षों के भीतर 60 लाख मकान बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है । कुल 51,77 लाख मकानों का निर्माण कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है जिसमें से 49 लाख मकान बनाए जा चुके हैं । 2008-09 में 21 लाख मकान बनाए जाएंगे ।

बजटीय आबंटन जोकि 2004-05 में 2900 करोड़ रुपए था, इसे 2008-09 में बढ़ाकर 5400 करोड़ रुपए कर दिया गया है ।

लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से स्थायी आधार पर आईएवाई प्रतीक्षा सूची तैयार करने संबंधी पद्धति लागू की गई है । अब तक 14 राज्यों ने स्थायी आईएवाई प्रतीक्षा सूची तैयार करके पंचायतों में उचित स्थान पर प्रदर्शित कर दी है । ये सूचियां मुद्रित पुस्तिकाओं के रूप में और जिलों की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं । अन्य राज्यों में इन आईएवाई प्रतीक्षा सूचियों को तैयार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूँगा कि 1 अप्रैल, 2008 या इसके बाद स्वीकृत आईएवाई आवासों की इकाई लागत को मैदानी इलाकों में 25000/- रु. से बढ़ाकर 35000/- रु. और पहाड़ी इलाकों में 27500/- रु. से बढ़ाकर 38500/- रु. कर दिया गया है । इसी प्रकार, विद्यमान कच्चे आवास के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता को 12500/- से बढ़ाकर 15000/- रु. प्रति इकाई कर दिया गया है । इसके अलावा, वित्तीय सेवाएं विभाग ने भारतीय रिजर्व बैंक को आईएवाई आवासों को भिन्न ब्याज दर (डीआरआई) के अंतर्गत शामिल करने और 4औ की ब्याज दर पर प्रति इकाई 20000/- रु. का ऋण देने की सलाह दी है ।

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति

भारत निर्माण के अंतर्गत 55067 कवर न की गई बसावटों, 3.31 लाख निचली श्रेणी में आ गई बसावटों और 2.17 लाख गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की समस्याएं दूर की जानी थीं, जिसकी तुलना में वर्ष 2005 से अब तक 31,633 कवर न की गई बसावटों, 2,13,901 निचली श्रेणी में आ गई बसावटों और 93,896 गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की समस्याएं हल की गई हैं । इस अवधि के दौरान, 1,61,731 विद्यालयों में भी सुरक्षित पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी गई है ।

भारत निर्माण के अन्तर्गत, ग्रामीण पेयजल क्षेत्र के लिए वित्तीय आबंटन में पर्याप्त वृद्धि की गई है ।

वर्ष 2005-06 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत के 5 व्यक्तियों को उन्हें उपलब्ध करायी गई सरल परीक्षण किट के माध्यम से अपने पेयजल स्रोतों का परीक्षण करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। जल गुणवत्ता की समस्या को हल करने के प्रयोजन से सरकार ने जल प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए संकेन्द्रित वित्तपोषण की पद्धति शुरू की है।

निगरानी पद्धति को सुदृढ़ करने तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऑनलाइन निगरानी प्रणाली शुरू की गई है।

इसके अतिरिक्त, हम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाएं बढ़ाने के प्रति भी प्रतिबद्ध हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, 21.92औ ग्रामीण बसावटों में स्वच्छता सुविधाएं थीं जो कि अब बढ़कर 53औ हो गई हैं। सरकार ने वर्ष 2012 तक संपूर्ण स्वच्छता कवरेज के लक्ष्य को हासिल करने की योजना बनाई है। वर्ष 2005-08 दौरान 3.99 लाख विद्यालय शौचालय बनाने के अलावा अलग-अलग परिवारों के लिए 3 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए हैं। वर्ष 2005 से निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना शुरू की गई है। वर्ष 2005 में लगभग 40 पंचायती राज संस्थाओं को पुरस्कार दिया गया था जिनकी संख्या वर्ष 2006 में बढ़कर 770 और वर्ष 2007 में 4959 हो गई। इस वर्ष 30,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं जो यह दर्शाता है है कि यह अभियान वांछित तेजी से बढ़ रहा है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने इस क्षेत्र में देश की इन उपलब्धियों की सराहना की है।

मैं माननीय सदस्यों द्वारा प्रदान किए गए सतत प्रोत्साहन, समर्थन एवं उनकी सक्रिय सहभागिता के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ।

मैं माननीय सदस्यों से यह भी अनुरोध करना चाहूँगा कि वे जिला सतर्कता एवं निगरानी समितियों के अध्यक्ष/सह-अध्यक्ष के रूप में भारत निर्माण के उपर्युक्त तीन घटकों के कार्यान्वयन की निगरानी करें।

Mr. SPEAKER : I hope Members would read them.